संलग्नक -II

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ के अन्तर्गत प्रस्तावित अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470 हेतु प्रस्तावित 0.0768 है0 संरक्षित वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु बिना सक्षम स्तर से विधिवत् स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उल्लंघन से सम्बन्धित 04 बिन्दुओं की रिपोर्ट।

अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470 में विकसित किये जा रहे एस्सार ऑयल लिमिटेड के रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0768 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति सम्बन्धित वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव Proposal No. : FP/UP/Others/13881/2015 प्रकिया पूर्ण करने से पूर्व गैर वानिकी प्रयोग कर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। उक्त के सम्बन्ध में 4 बिन्दुओं पर रिपोर्ट निम्न प्रकार प्रेषित है।

(1) **स्थल का विवरण, भूमि का क्षेत्रफल, स्थल का विवरण, मानचित्र, अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरणः–**

(A) **स्थल का विवरण–** अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470, तहसील–कोल, जनपद– अलीगढ़

(B) **भूमि का क्षेत्रफल–** 0.0768 है0

(C) मानचित्र– प्रस्तावित स्थल का मानचित्र (Layout Plan) प्रस्ताव के साथ पूर्व से ही संलग्न है।

(D) **अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों का विवरण–** प्रकरण में किसी भी वृक्ष का पातन प्रस्तावित नहीं था। अतः अवैध रूप से पातन किये गये वृक्षों/वनस्पतियों की संख्या शून्य है।

2. रिपोर्टः– **एक स्पष्ट पूर्ण टिप्पणी में वर्णित की जायेगी और उसकी पुष्टि में यह दस्तावेज भेजे जायेगें जिनमें खासकर उन अधिकारियों के नाम व पद नाम होगें जो प्रथम दृष्टया अधिनियम के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हैं।**

कार्यदायी संस्था द्वारा अपने संस्था के रिटेल आउटलेट हेतु अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470, तहसील–कोल पर सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु प्रस्ताव सं0 FP/UP/Others/13881/2015 प्रस्तुत किया गया है, जो कि संस्तुति संहित उ0प्र0 शासन स्तर से भारत सरकार को प्रेषित किया गया है। जिस पर भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य), लखनऊ का पत्रांक 8बी/यू0पी0/06/34/2018/एफ0सी0/30 दिनांक 12.04.2018 द्वारा आपत्ति लगायी गयी हैं। प्रस्तावित वनभूमि के के0एम0एल0 फाईल के परीक्षण से स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन किया गया है। जिसका मौका निरीक्षण पर तथ्य सही पाये जाने पर, अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं0 32/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 जारी कर विधिक कार्यवाही की गयी। अतः प्रकरण में निम्न अधिकारी प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

1. श्री अतुल कुमार – प्रभागीय प्रबन्धक, नायरा एनर्जी लि0, (पूर्व में एस्सार ऑयल लि0), प्रथम तल, राजेन्द्र स्पेस, सेक्टर–16 बी, आवास विकास, सिकन्द्राबोदला, आगरा।

3. **वन संरक्षण अधिनियम–1980 के उल्लंघन के रोकने के लिए सम्बन्धित प्रभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा उठाये गये कदम का विवरण–**

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव के अन्तर्गत सम्पर्क मार्ग का निर्माण बिना वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन किये जाने के सम्बन्ध में अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं0 32/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 द्वारा एच02 केस इजरा किया गया है। प्रवेश मार्ग व निकास मार्ग पर संरक्षित वन भूमि 0.0768 हे0 पर पक्का मार्ग निर्माण कर कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा एप्रोच रोड का प्रयोग आवागमन हेतु किया जा रहा है।

4. **यदि किसी भूल–चूक जिसके कारण अधिनियम का उल्लंघन हुआ है और उत्तरदायित्व निर्धारित कर पाना सम्भव न हो तो सम्बन्धित कागजातों सहित एक पूर्ण स्पष्टीकरण रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जायेगी–**

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा वर्ष 2015 में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु प्रस्तुत किया गया था। प्रकरण में तत्कालीन प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 26.11.2015 को निरीक्षण किया गया, जिसमें

प्रमाणित

प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh

किसी प्रकार का कोई भी निर्माण कार्य प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा नहीं किया गया था। जिसके उपरांत ही प्रस्ताव प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा संस्तुति सहित दिनांक 14.12.2015 को समस्त कार्यवाहियां पूर्ण कर उच्च स्तर को प्रेषित किया गया। परंतु क्षेत्रीय कर्मचारियों के मौका निरीक्षण दिनांक 23.02.2019 में पाया गया कि अलीगढ़ रेंज द्वारा केस सं0 32/18–19/अलीगढ़ दि0 23.02.2019 इजरा किया गया है। जिसकी पुष्टि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ द्वारा दिनांक 23.10.2019 को प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में की गयी। निरीक्षण में पाया गया कि एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त किये बिना ही अलीगढ़–रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0–105) किमी0 चैनेज 15.150 की बांयी पटरी पर ग्राम–उखलाना के खसरा सं0– 1470 में नवीन रिटेल आउटलेट का सम्पर्क मार्ग निर्माण कर लिया गया है, जिससे वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 का उल्लंघन हुआ। जिससे स्पष्ट है, कि प्रयोक्ता एजेंसी को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी थी। अतः प्रकरण में किसी भूल–चूल होने की सम्भावना नगण्य है।

(एन0पी0 उपाध्याय)
प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

प्रमाणित

Divisional Director
Social Forestry Division
Aligarh
28.10.2022